राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2207/2023	लोकेश गुप्ता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 3. मुख्य अभियंता सह अति. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड, सिविल लाईन, जयपुर, राज.। 4. सवाई सिंह राठौड, सहायक अभियंता (सिविल), डिप्लोमाधारी एवं मुख्य अभियंता सह अति. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड, सिविल लाईन, जयपुर, राज.।
2.	2208/2023	संजय कुमार वर्मा	

आदेश की दिनांक : 22.09.2023

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री सुमेर सिंह बड़सरा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः दोनों अपीलों में एक साथ आदेश पारित किया जा रहा है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस प्रकरण में केवियट प्रस्तुत की गई है।
3. दोनों अपीलों के अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता के पदों के लिए पदोन्नति हेतु डीपीसी का आयोजन किया जाना है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वर्ष 2008–2009 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 17.06.2008 के जरिये पदोन्नति दी गई थी। रिक्ति वर्ष 2008–09 में जो पदोन्नति दी गई थी, उससे अपीलार्थी का अनुभव 01.04.2008 से गिना जाना चाहिए था। उसका अनुभव दिनांक 01.04.2008 से नहीं गिना जा रहा है, जिस कारण अपीलार्थी को आगामी पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन को दिनांक 25.08.2023 को निस्तारित किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि रिक्ति दिनांक 27.05.2008 को अपग्रेडेशन होकर उत्पन्न

हुई थी। इस कारण से दिनांक 27.05.2008 से अपीलार्थी का अनुभव गिना जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि इस संबंध में आदेश दिनांक 27.05.2008 अनुलग्नक–ए7 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट अंकित हैं कि वित्त विभाग की सहमति दिनांक 19.03.2007 को जारी की गई थी। ऐसे में दिनांक 19.03.2007 से रिक्ति मानी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अनुभव 01.04.2008 से गिना जाना चाहिए था। अतः अपीलार्थी का अभ्यावेदन गलत प्रकार से निस्तारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विभागीय पदोन्नति समिति के नियम के संबंध में परिपत्र 04.06.2008 जारी किया गया है, जिसमें बिन्दू संख्या 7.5 निम्न प्रकार से हैः–

''7.5 पूरे वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध हो रही रिक्तियां गणना योग्य होगी जिनमें निम्न पद भी सम्मिलित होंगेः–

7.5.1 जिन पदों पर अस्थाई/आवश्यक पदोन्नतियां कर दी हों व पद भी विभागीय पदोन्नति समिति आयोजन हेतु गणना योग्य होंगे।

7.5.2 नवीन पद जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के आयोजन से पूर्व सृजित होते हैं अथवा जो बजट में सम्मिलित किये गये हों या जिनके लिए उस तिथि को जबकि रिक्तियों का अवधारण किया जाए, वित्त विभाग द्वारा सहमति दे दी गई हो।''

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त परिपत्र से रिक्तियों की अवधारणा वित्त विभाग की सहमति की दिनांक से किया जाना चाहिए था, जो कि दिनांक 19.3.2007 है। ऐसे में अपीलार्थी आगामी पदोनति के लिए पात्रता रखता है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के समान अन्य समस्त डीप्लोमाधारियों के अनुभव की गणना गलत कर उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है और उन्हें डीपीसी से बाहर किया जा रहा है।

5. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का जो अभ्यावेदन निस्तारित किया गया है, वह नियमानुसार निस्तारित किया गया है। अपीलार्थी की दिनांक 07.06.2008 को पदोन्नति हुई थी और पद भी दिनांक 27.05.2008 को सृजित हुए थे। अपीलार्थी उस पद के लिए वांछित योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि अपीलार्थी न तो पदगृहण की दिनांक से, न ही रिक्ति उपलब्ध होने की दिनांक से 15 वर्ष का अनुभव रखता है।

6. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। स्पष्ट रूप से उपरोक्त वर्णित परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में मद संख्या 7.5 में यह प्रावधान रखा गया है कि रिक्तियों की अवधारणा वित्त विभाग की सहमति की दिनांक से किया जाना चाहिए था। वित्त विभाग की सहमति दिनांक 19.03.2007 को दिया जाना आदेश दिनांक 27.05.2008 (अनुलग्नक–7) से स्पष्ट है। ऐसे में दिनांक

01.04.2008 को रिक्तियां उपलब्ध होना उक्त नियमानुसार प्रथम दृष्टया माना जा सकता है।

7. अतः अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अंतरिम रूप से यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिकरण के आगामी आदेश तक सहायक अभियंता (सिविल) से अधिशाषी अभियंता पद की पदोन्नति हेतु डीपीसी का आयोजन स्थगित रखा जाये।
8. प्रत्यर्थी विभाग को लिखित में जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12.09.2023 को पेश हो।
9. मूल आदेश अपील संख्या 2207/2023 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति अन्य अपील संख्या 2208/2023 में रखी जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)